प्रकीर्ण वाद संख्या ०२/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं. २०३ वर्ष २०१७)
श्रीमती राम देवी आदि बनाम श्रीमती सुनीता आदि
१३.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती राम देवी, सोनू एवं दीपक द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को लोक अदालत में पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि दिनाँक १७.११.२०२० को आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से जमा कर दी गयी है। प्रार्थीगण ने ३बी प्रार्थना पत्र में यह भी प्रार्थना की है कि याचीगण पर कर्ज है व अन्य खर्च है तथा न्यायाधिकरण के आदेशानुसार दी जाने वाली २५ प्रतिशत नकद प्रतिकर धनराशि कम है अतः उन्हें कम से कम ५० प्रतिशत धनराशि नकद व ५० प्रतिशत धनराशि की एन्युटी बनाये जाने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती राम देवी का शपथपत्र, न्यायाधिकरण के उक्त आदेश की फोटो प्रति, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. २०३/२०१७ श्रीमती राम देवी आदि बनाम श्रीमती सुनीता आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर **₹ ५,५०,०००** हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ३ को क्रमशः ३५, ३० व ३५ प्रतिशत धनराशि प्राप्त होनी है तथा याचीगण सं. १, २ व ३ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग की धनराशि उक्त प्रत्येक याचीगण को आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। चेक रजिस्टर के क्रमांक १८५ की आख्या के अनुसार यू.टी.आर.नं. एस वाई एन बी आर ५२०२०१२१०५५३३४६८६ दिनाँक १०.१२.२०२० को पी.एन.बी. झोकन बाग में ₹ ५,५०,००० जमा कर दिया गया का पृष्ठांकन है। प्रार्थीगण ने अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। प्रार्थीगण को कम से कम ५० प्रतिशत धनराशि नकद दिए जाने व ५० प्रतिशत धनराशि की एन्युटी बनाये जाने की प्रार्थना के आधार पर्याप्त नही हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में वर्णित एन्युटी एवं आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के माध्यम से अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोविन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २०३/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. ०२/२०२० श्रीमती राम देवी आदि बनाम श्रीमती सुनीता आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicat/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Ram Devi	144375	26.25	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Ram Devi	48125	8.75	Elect. Mode RTGS/NEFT	50537412231	Indian/ Allahabad Kanpur Road Jhansi	ALLA0212200
2. Sanu/Sonu	123750	22.5	Annuity for 3 years	------	Any Nationalized Bank	____
2. Sanu/Sonu	41250	7.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	50537100582	Allahabad Bank Kanpur R0ad	ALLA0212200

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.13 11:59:47 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

					Jhansi	
3. Deepak	144375	26.25	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
3. Deepak	48125	8.75	Elect. Mode RTGS/NEFT	50433119365	Allahabad Bank	ALLA0212200
Total	**550000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी